न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या 03/2019

अपीलांटः–

1. खेताराम पुत्र श्री ढलारामजी
2. चमनाराम पुत्र श्री ढलारामजी
3. हीराराम पुत्र श्री ढलारामजी जातिगण घांची, निवासीगण ग्राम मण्डिया तहसील पाली, जिला पाली राजस्थान

रेस्पोंडेंट्सः–

1. सरपंच ग्राम पंचायत दयालपुरा, तहसील पाली, जिला राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली तहसील पाली जिला पाली राजस्थान

उपस्थितिः–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बखिलाफ म्यूटेशन संख्या 370 आदिनांक जो ग्राम पंचायत दयालपुरा द्वारा मौजा गुरड़ाई के खसरा नम्बर 878 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा के खरीददार अपीलाण्ट्स के पिता ढलाराम के पिता सरूपजी के बजाय गलत नाम रूपाराम का इन्द्राज म्युटेशन संख्या 370 के कॉलम संख्या 11 के द्वितीय इन्द्राज, को निरस्त करने बाबत।

–ःआदेशः– दिनांक 27·01·2020

1. अपीलांट ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 878 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा किस्म नहरी दोयम मौजा गुरड़ाई, तहसील पाली में स्थित है। जिस कृषि भूमि का पूर्व खातेदार मोहनकंवर बंवा अमरसिंहजी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज दिनांक 25.09.1981 को प्रतिफल रकम रूपयें 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपयें रोकड़ प्राप्त कर अपनी उक्त आराजी खसरा नम्बर 878 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि के तमाम खातेदारी हक हकूक बहक अपीलाण्डट्स के पिता ढलाराम पुत्र सरूपजी, जाति घांची, निवासी ग्राम मण्डिया तहसील पाली को मुन्तकिल कर उक्त आराजी का कब्जा भी दिन दिनांक 25.06.1981 को अपीलाण्ट्स के पिता ढ़लारामजी को मौके पर सुपुर्द कर दिया था तथा उक्त आराजी का खरीददार अपीलाण्ट्स के पिता ढ़लाराम पुत्र सरूपजी द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त खरीदसुदा आराजी पर बहैसियत खातेदार के काबिज रह काश्त करता था एवम् रहा जिससे उक्त आराजी अपीलाण्ट्स के पिता ढ़लारामजी स्वयं की खरीदशुदा स्व अर्जित सम्पूति कृषि भूमि थी व रही तत्पश्चात् उक्त आराजी का खातेदार अपीलाण्ट्स के पिता ढ़लाराम पुत्र सरूपजी द्वारा अपनी स्वेच्छा से अपने जीवनकाल में उक्त आराजी खसरा नम्बर 878 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि सहित अपनी दीगर स्वअर्जित चल वा अचल सम्पति मय कृषि भूमि निस्बत् एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.11.1998 को बहक अपीलाण्ट्स के निष्पादित किया गया जो रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.11.1998 ढ़लारामजी की आखिरी एवम् अंतिम वसीयत थी रही वो है। तत्पश्चात् अपीलाण्ट्स के पिता ढ़लारामजी का देहान्त दिनांक 25.04.2000 को हो चुकने के वक्त से उक्त आराजी खसरा नम्बर 878 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि के

Rahi
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

खातेदार कानूनन माफिक वसीयत दिनांक 06.11.1998 के अपीलाण्ट्स हो चुके है एवम् उक्त आराजी पर एकमात्र कब्जा काश्त भी ढ़लारामजी की मृत्यु दिनांक 25.04.2000 के वक्त से एकमात्र कब्जा काश्त बतौर खातेदार के करते आ रहे है जिससे अपीलाण्ट्स की ओर से विरूद्ध रेस्पोडेण्ट्स के हाजा अपील पेश करते है। रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज दिनांक 25.06.1981 एवं रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.11.1998 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25.04.2000 एवं जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 जमाबन्दी संवत् 2073 से 2075 की नकलें प्रमाणित साथ पेश हैं।

उक्त आराजी खसरा नम्बर 878 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि निस्बत् अपीलाण्ट्स के पिता ढ़लारामजी पुत्र सरूपजी द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज दिनांक 25.06.1981 के आधार पर जरिये म्युटेशन के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी वगैरह में इन्द्राज कराने हेतु पटवारी हल्का गुरड़ाई एवं अदालत मातेहत के समक्ष सन् 1981 में ही बेचाण दिनांक 25.06.1981 का पेश किया गया। जिस पर पटवारी हल्का गुरड़ाई द्वारा म्युटेशन संख्या 370 में इन्द्राज करते वक्त म्युटेशन संख्या 370 के कॉलम संख्या 11 के द्वितीय इन्द्राज में अपीलाण्ट्स के पिता ढ़लारामजी की खरीदशुदा आराजी खसरा नम्बर 878 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा भूमि का इन्द्राज तो कर दिया परन्तु उक्त आराजी के खरीददार माफिक रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज दिनांक 25.06.1981 में अंकित अनुसार ढ़लाराम के पिता सरूपजी के बजाय रूपारामजी गलत अंकित कर दिया जबकि उक्त आराजी निस्बत् निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज दिनांक 25.06.1981 के खरीददार ढ़लारामजी के पिता का नाम सरूपजी था रहा व आज भी है ऐसी स्थिति में उक्त रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज दिनांक 25.06.1981 में वर्णित इन्द्राज को अनदेखा करते हुए एवं बिना दिमाग एप्लाई किये राजकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों, पटवारी हल्का व भू-अभिलेख द्वारा किये गलत इन्द्राज को अदालत मातेहत द्वारा अहम सत्य मानते हुए बिना अपीलाण्ट्स मय उनके पिता को जवाब शहादत सुनवाई का अवसर दिये म्युटेशन संख्या 370 के कॉलम संख्या 11 के द्वितीय इन्द्राज में ढ़लाराम के पिता सरूपजी की बजाय रूपाराम गलत इन्द्राज किया गया है जो गलत इन्द्राज म्युटेशन संख्या 370 स्वीकृत आदेश आदिनांकित एवं उनके पश्चात् की जामाबन्दी संवत् 2041 से 2044 से अब तक की जमाबन्दियों में गलत इन्द्राज चला आ रहा है। जिस गलत इन्द्राज की हद तक अदालत मातेहत द्वारा सादिर म्युटेशन संख्या 370 स्वीकृत आदे आदिनांकित कानूनन काबिल संशोधन के है एवम् म्युटेशन संख्या 370 के कॉलम संख्या 11 के द्वितीय इन्द्राज में ढ़लाराम के पिता का नाम माफिक रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज दिनांक 25.06.1981 के अनुसार सरूपजी के नाम का सही इन्द्राज फरमात हुए रूपारामजी के नाम की हुये गलत इन्द्राज को हटाया जाने निस्बत् रेस्पोडेण्ट संख्या 02 तहसीलदार, पाली को आदेश फरमाया जाना कानूनन आवश्यक एवं लाजमी है। अदालत मातेहत द्वारा सादिर म्युटेशन संख्या 370 स्वीकृत आदेश अदिनांकित की नकल प्रमाणित साथ पेश है।

आदेश जैर अपील में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 878 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि का एकमात्र खातेदार अपीलाण्ट्स के पिता ढ़लाराम पुत्र सरूपजी, जाति घांची, निवासी ग्राम मण्डिया था एवं रहा जो कृषि भूमि उक्त ढ़लारामजी की स्वयं की खरीदशुदा स्वअर्जित कृषि भूमि थी व रही। तत्पश्चात् उक्त आराजी का खातेदार अपीलाण्ट्स के पिता ढ़लाराम पुत्र सरूपजी द्वारा अपनी स्वैच्छा से अपने जीवनकाल में उक्त आराजी के रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.11.1998 को बहक अपीलाण्ट्स के निष्पादित की गई जो रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.11.1998 ढ़लारामजी की आखिरी एवं अंतिम वसीयत थी रही वो है। तत्पश्चात् उक्त आराजी के खातेदार ढ़लारामजी का देहान्त दिनांक 25.04.2000 को हो

Rahi
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

चुकने से उक्त आराजी खसरा नम्बर 878 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार कानूनन उक्त वसीयत दिनांक 06.11.1998 अनुसार स्वतः ही अपीलाण्ट्स खातेदार हो चुके थे रहे एवं खातेदार है जो उक्त आराजी पर ढ़लारामजी की मृत्यु दिनांक 25.04.2000 के वक्त से आज दिन तक लगातार बहैसियत खातेदार के काबिज रह काश्त करते आ रहे है जिससे माफिक वसीयत दिनांक 06.11.1998 अनुसार उक्त आराजी के खातेदार अपीलाण्ट्स को उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड़ जमाबन्दी वगैरह मे जरिये म्युटेशन के अमल दरामद किये जाने हेतु रेस्पोडेण्ट संख्या 02 तहसीलदार, पाली को आदेश फरमाया जाना आवश्यक एवं लाजमी है जिससे भी अपील अपीलाण्ट्स कानूनन काबिल मय खर्चा वो हर्जा के मंजूर फरमाई जावें।

अदाल मातेहत द्वारा आदेश जैर अपील सादिर के पूर्व प्रभारी एवं क्षुब्ध पक्षकार अपीलाण्ट्स मय इनके पिता ढ़लारामजी को बिना किसी जवाब शहादत सुनवाई का अवसर दिय जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों अनुसार दिया जाना आवश्यक एवं लाजमी था वो हैं जिससे ऐसा आदेश जैर अपील होने Void-ab-initio से एवं Nonest के से कानूनन काबिल निरस्त के है।

अपीलाण्ट्स अपने पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.11.1998 के आधार पर म्युटेशन भरवाने हेतु पटवारी हल्का गुरड़ाई के पास दिनांक 31.05.2019 को गया तो पटवारी हल्का गुरड़ाई ने रेवेन्यु रेकर्ड देखकर अपीलाण्ट्स को बताया कि ढ़लारामजी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में रूपाराम जरिये म्युटेशन संख्या 370 के अंकित है जिससे वसीयत के आधार पर तुम्हारे नाम म्युटेशन की कार्यवाही नहीं होगी पहले कोर्ट में जाकर म्युटेशन संख्या 370 में दरूस्ती करा तुम्हारे दादा का नाम सरूपजी सही कराओ एवं म्युटेशन की नकल एवं अन्य नकलें तहसीलं कार्यालय, पाली से मिलेगी तत्पश्चात् अपीलाण्ट्स दिनांक 01.06.2019 व 02.06.2019 को अवकाश होने से दिनांक 03.06.2019 को पाली आकर वकील मदनलाल वैष्णव से सम्पर्क कर म्युटेशन संख्या 370 एवं सम्बन्धित नकलों हेतु दिनांक 03.06.2019 को एप्लाई करवाई। जिस पर उक्त म्युटेशन संख्या 370 एवं जमाबंदियों की नकलें दिनांक 04.06.2019 को प्राप्त हुई। जिसको पढ़ने एवं पढ़ाने पर आदेश जैर अपील का सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट्स को दिनांक 04.06.2019 को ही हुई उसके पूर्व उक्त आदेश जैर अपील की कत्तई कोई जानकारी अपीलाण्ट्स को नहीं थी वैसे भी आदेश जैर आदेश अपीलाण्ट्स मय इनके पिता ढ़लारामजी को बिना जवाब शहादत सुनवाई के पारित किया गया। जिससे ऐसा आदेश कानूनन Void-ab-initio एवं Nonest होने से ऐसे आदेश की जानकारी होने पर चुनौती दी जाकर निरस्त किया जा सकता है जिस हेतु म्याद का बंधन लागु नहीं होता है। अपीलाण्ट्स अनपढ़ ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने से कानून की जानकारी नहीं होने से तकनीकी आधारों पर अपील म्याद के बिन्दु पर खारिज नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक एवं लाजमी है ऐसी स्थिति में अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश जैर अपील के विरूद्ध अपील पेश करने में हुई देरी का पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण होने से अपीलाण्ट्स को अपील पेश करने में हुई देरी को माफ फरमा उक्त अपील में अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक एवं लाजमी है। तत्पश्चात् अपीलाण्ट्स को अपील तैयार करवाने एवं वकील मेहनताना एवं अपील खर्चा का इंतेजाम करने में समय लगा जिससे आदेश जैर अपील के विरूद्ध अपील आज पेश है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स विरूद्ध रेस्पोडेण्ट्स पेश कर निवेदन है कि अदालत मातेहत द्वार सादिर म्युटेशन संख्या 370 के कॉलम संख्या 11 के द्वितीय इन्द्राज में माफिक रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज दिनांक 25.06.1981 अनुसार अपीलाण्ट्स के पिता ढ़लारामजी के

Rah

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

पिता का नाम जरिये संशोधन के रूपारामजी के स्थान पर सरूपजी नाम का इन्द्राज फरमाते हुए उक्त आराजी खसरा नम्बर 878 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा मौजा गुरड़ाई, तहसील पाली की कृषि भूमि खातेदार ढ़लाराम पुत्र सरूपजी द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी उक्त स्वअर्जित आराजी में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.11.1998 के बहक अपीलाण्ट्स को निष्पादित किये जाने से उक्त आराजी के खातेदार अपीलाण्ट्स के नाम राजस्व रेकर्ड़ जामबन्दी संख्या 02 तहसीलदार, पाली को आदेश फरमाते हुए अपील अपीलाण्ट्स मय खर्चा व हर्जा के मन्जुर फरमाई जावें

2. अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

3. अपील Subject to limitaion दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 के बावजुद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये इस कारण रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

5. बहस अपील उभयपक्ष की सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि मुटेशन संख्या 370 के कॉलम संख्या 11 के द्वितीय इन्द्राज में माफिक रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज दिनांक 25.06.1981 अनुसार अपीलाण्ट्स के पिता ढ़लारामजी के पिता का नाम जरिये संशोधन के रूपारामजी के स्थान पर सरूपजी नाम का इन्द्राज फरमाते हुए उक्त आराजी खसरा नम्बर 878 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा मौजा गुरड़ाई, तहसील पाली की कृषि भूमि खातेदार ढ़लाराम पुत्र सरूपजी द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी उक्त स्वअर्जित आराजी में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.11.1998 के बहक अपीलाण्ट्स को निष्पादित किये जाने से उक्त आराजी के खातेदार अपीलाण्ट्स के नाम राजस्व रेकर्ड़ जामबन्दी संख्या 02 तहसीलदार, पाली को आदेश फरमाते हुए अपील अपीलाण्ट्स मय खर्चा व हर्जा के मन्जुर फरमाई जावें

7. रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

8. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। बेचाण रजिस्ट्री में ढलारामजी पुत्र श्री सरूपजी जाति घांची साकिन मंडिया तहसील पाली जिला पाली दर्ज है। उसी बेचाण रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण संख्या 370 भरा जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत,गुरड़ाई द्वार बैठक दिनांक 04–10–1981 में स्वीकृत किया गया। उक्त बेचाण रजिस्ट्री में अपीलाण्ट की नाम ढलारामजी पुत्र सरूपजी दर्ज है जबकि जैर अपील नामांतरकरण संख्या 370 मे ढलाराम पुत्र रूपाराम कौम घांची सा. मण्डिया तहसील पाली दर्ज कर दी गई है। तथा जमाबंदी वर्ष 2073–2076 के खाता संख्या 1914 में ढलाराम पुत्र रूपाराम कौम घांची सा. मंडिया खातेदार दर्ज है। उक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा बेचाण रजिस्ट्री के आधार पर भरे गये नामां0 में अपीलांट की जाति रजिस्टर्ड बेचाण रजिस्ट्री में दर्ज **ढलारामजी पुत्र श्री सरूपजी** के स्थान पर नामां0 में गलत रूप से बगैर कोई आधार के जाति **ढलाराम पुत्र रूपाराम** दर्ज कर दी गई है। गलत रूप से दर्ज जाति के इंद्राज के नामां0 की भू0अ0नि0 तथा ग्राम पंचायत द्वारा कोई जांच नहीं किया जाना साबित होता है।

Rahi

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। एवं अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम गुरड़ाई के नामां0 संख्या 370 पर ग्राम पंचायत, गुरड़ाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–10–81 को यथावत् रखा जाना कत्तई न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि म्युटेशन संख्या 370 के कॉलम संख्या 11 के द्वितीय भाग मे दर्ज बेचाण रजिस्ट्री के अनुसार अपीलांट का नाम **ढलाराम पुत्र रूपाराम** अंकित करते हुए म्यूटेशन भर कर पारित कर राजस्व रेकर्ड में पिता का नाम गलत दर्ज **रूपाराम,** के स्थान पर **सरूपाजी** किया जावें। इस निर्णय की प्रति एवं मूल नामां0 संख्या 370 तहसीलदार, पाली को तहरीर के साथ माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित किया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

Rahi
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 27.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahi
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.02.12 15:22:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: